निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1932 (श0)

(सं0 पटना 489) पटना, वृहस्पतिवार, 22 जुलाई 2010

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

————

अधिसूचना

20 जुलाई, 2010

सं0 वि.प.वि.-20/2010-1825(3)वि.प.—बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के नियम 121 के अन्तर्गत निम्नलिखित विधेयक उद्देश्य एवं हेतु सहित सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार जीवन एवं सम्मान-रक्षा विधेयक, 2010

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

प्रस्तावना :—

1. (क) यह कि यदि पीड़ित व्यक्ति/परिवार के सदस्यों में से किसी की भूख से होनेवाली मृत्यु के लिए देहाती क्षेत्र में स्थानीय मुखिया, ग्राम सेवक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिम्मेवार बनाया जाएगा।

(ख) यह कि देहाती क्षेत्र में किसी व्यक्ति अथवा परिवार के सदस्यों के यहां खाद्यान्न की कमी से भूख से मृत्यु होने की संभावना है तो ग्राम सेवक अथवा अन्य कोई व्यक्ति मुखिया को लिखित सूचना देगा। मुखिया शीघ्र प्रखंड विकास पदाधिकारी से विमर्श कर उस, अथवा उसके परिवार को अन्य मुहैय्या करायेगा।

(ग) शहरी क्षेत्र में खंड ''क'' जैसी स्थिति होने पर कोई भी व्यक्ति अथवा नगर पार्षद की सूचना मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, खंड ''ख'' में वर्णित व्यवस्था करेंगे।

2. यह कि सार्वजनिक स्थल पर किसी नि:शक्त व्यक्ति को किसी के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हो और वहां उपस्थित जन समूह किसी प्रकार उनके सुरक्षा की कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया जाएगा,

3. यह कि किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी महिला/पुरुष का प्रतिष्ठा हनन् किया जा रहा है तथा वहां उपस्थित लोग तमाशबीन हो तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ :—(क) यह अधिनियम बिहार जीवन सम्मान-रक्षा अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ग) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं :—(1) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) अधिनियम का तात्पर्य बिहार जीवन एवं सम्मान-रक्षा अधिनियम, 2010 है;

(ख) अध्यक्ष, प्रखंड, प्रखंड विकास पदाधिकारी, फौजदारी मुकदमा, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, आयुक्त, जिला, जिला दण्डाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, सरकार, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, मुखिया, मुंसिफ, अधिसूचना, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, पंचायत समिति, प्रमुख, सचिव, सरपंच, उपाध्यक्ष, उप-मुखिया, उप-प्रमुख, ग्राम, जिला परिषद्, अनुमंडल दंडाधिकारी से अभिप्रेत है जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में परिभाषित है।

विहित से अभिप्रेत है इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित

3. ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् का कर्त्तव्य होगा कि नियमों के अधीन भूख से होनेवाली मृत्यु, सार्वजनिक स्थानों पर मार पीट एवं मर्यादा हनन् के समय उपस्थित जन समूह एवं स्थानीय दुकानदारों, कार्यालयों, आवासियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किए जाने पर सामूहिक रूप से दंडित करे।

(क) किसी नागरिक से या स्वयं भी सूचना मिलने पर भूख से पीड़ित व्यक्ति को पोषाहार उपलब्ध कराए।

(ख) सूचना मिलते ही दुर्घटना ग्रस्त/निःशक्त/बीमार व्यक्तियों के उचित इलाज हेतु आवश्यक कार्रवाई करे यथा नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराकर दवा-दारू का प्रबंध करे।

4. कठिनाइयों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा नियमावली बनायी जाएगी।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा प्राप्त कराना एवं व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाना राज्य का कर्त्तव्य है। संविधान के समादेश (Mandate) को प्रभावकारी बनाने हेतु राज्य का यह भी कर्त्तव्य है कि समान हैसियत के साथ व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करते हुए जीवन एवं सम्मान की रक्षा करे। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भूख से मृत्यु को रोकने, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ द्वारा किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाने एवं उसके मर्यादा हनन् के समय उपस्थित जन समूह एवं स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप की अनिवार्यता एवं दुर्घटनाग्रस्त/अशक्तता या बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन एवं सम्मान की रक्षा करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ट है।

राम वचन राय,
भारसाधक सदस्य।

बाबु लाल अग्रवाल,
कार्यकारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 489-571+20-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in